उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद

महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड

सूचना भवन ,लाडपुर रिंग रोड (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

(ई–निविदा फार्म भरने से पूर्व सभी शर्तो /नियमों का पूर्ण रूप से भली–भाति अध्ययन कर लिया जाय)

पत्रांकः 170 /सू.एवं.लो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.)/01/2023 दिनांक : 16 मार्च, 2026

सी.ए. की सेवाएं सूचीबद्धता हेतु ई–निविदा आमंत्रण

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म नीति–2024 के में निहित प्राविधानों के अधीन फिल्मों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त क्रम में परिषद को प्राप्त होने वाले फिल्म अनुदान प्रस्तावों के परीक्षण कार्य/परामर्श/सेवाएं हेतु परिषद द्वारा प्रतिष्ठित Chartered Accountant (C.A) फर्मों को आगामी 02 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रतिष्ठित Chartered Accountant (C.A) से निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 के अन्तर्गत ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित सभी सूचनाएं **http//www.uktenders.gov.in** पर उपलब्ध है। ई–निविदा का विवरण निम्नवत हैः–

S.N.	Particular	Date & Time
1.	Date of availability of Tender Document on website	18 March, 2026 11.00 AM
2-	Bid Submission Start Date	18 March, 2026 11.00 AM
3-	Pre-Bid Meeting Date	24 March, 2026 11.00 AM
4-	Last Date of Bid Submission	07 April, 2026 5.00 PM
5-	Date of Opening Of Technical Bid	08 April, 2026 11.00 AM
6-	Date of Opening of Financial Bid will be intimated separately	--
	Venue for tender related work	UFDC Office-Information & Public Relation Department, Suchna Bhawan, Ladpur Ring Road, Dehradun, Uttarakhand .
	Tender Document is also available at	**http//www.uktenders.gov.in**
8-	Tender Document Cost	Rs. 1500/- With 18%GST

Note: If any date mentioned above is declared public holiday, that will be shifted to the next working day without any change in other parameters such as venue etc.

sd-

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/महानिदेशक

Signature Not Verified

Digitally signed by KALAM SINGH CHAUHAN
Date: 2026.03.17 12:59:45 IST
Location: Uttarakhand-UT

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद

महानिदेशक सूचना एवं लोक सर्म्पक विभाग,उत्तराखण्ड

सूचना भवन ,लाडपुर रिंग रोड (निकट वाणिज्य कर विभाग) देहरादून

(ई–निविदा फार्म भरने से पूर्व सभी शर्तो /नियमों का पूर्ण रूप से भली–भाति अध्ययन कर लिया जाय)

पत्रांकः 170 / सू.एवं.लो.सं.वि.(उ.फि.वि.प.) / 01 / 2023 दिनांक : 16 मार्च, 2026

सी.ए. की सेवाएं सूचीबद्धता हेतु ई–निविदा आमंत्रण

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, के अधीन गठित उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा फिल्म नीति–2024 के में निहित प्राविधानों के अधीन फिल्मों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। अतः परिषद को प्राप्त होने वाले फिल्म अनुदान प्रस्तावों के परीक्षण कार्य/परामर्श/सेवाएं हेतु परिषद द्वारा प्रतिष्ठित Chartered Accountant (C.A) फर्मों को आगामी 02 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रतिष्ठित Chartered Accountant (C.A) से निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2025 के अन्तर्गत ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित सभी सूचनाएं **http//www.uktenders.gov.in** पर उपलब्ध है। ई–निविदा का विवरण निम्नवत हैः–

निविदा हेतु तकनीकी शर्तें : –

1. फर्म को निविदा प्रपत्र प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व Chartered Accountant (C.A) फर्म का उत्तराखण्ड में कार्यालय होना चाहिए। पुष्टि हेतु बिजली बिल की छायाप्रति अथवा किरायानाम संलग्न करना होगा ।
2. उत्तराखण्ड में जी.एस.टी. पंजीकरण आवश्यक है। पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. फर्म को सी.ए. से संबंधित कार्यों में न्यूनतम 05 वर्ष का पंजीकरण होना चाहिए। पुष्टि हेतु The Institute of Chartered Accountants of India में पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. फर्म को केन्द्र/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में अनुदान संबंधी प्रकरणों से संबंधित कार्यों का अनुभव होना चाहिए। पुष्टि हेतु संबंधित कार्य का प्रमाणित अभिलेख–यथा कार्यालय आदेश अथवा कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 से संबंधित कार्यों से संबंधित कार्यादेश/प्रमाणित अभिलेख संलग्न करना होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक कार्यादेश/प्रमाणित अभिलेख की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म के पास पर्याप्त दक्ष एवं कुशल मानव संसाधन होना अनिवार्य है। पुष्टि हेतु न्यूनतम 05 कार्यरत मानव संसाधन का विवरण यथा–फर्म द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र की छायाप्रति संलग्न करने होंगे।
6. फर्म अथवा फर्म के प्रोपराईटर का पैन नम्बर अवश्य होना चाहिए। पैन की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 की आई.टी.आर. की सत्यापित छायप्रतियां संलग्न करनी होगी।
7. फर्म का विगत तीन वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर **₹30,00,000/– (₹ तीस लाख मात्र)** से कम नहीं होना चाहिए। पुष्टि हेतु गत 03 वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24, एवं 2024–25 का सी.ए. से (यू.डी.आई.एन. नम्बर सहित) प्रमाणित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. फर्म को किसी भी शासकीय एवं अशासकीय संस्थान द्वारा (Black listed) काली सूची में न होने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।**(रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापितनिविदा प्रकाशन तिथि के उपरांत का शपथ पत्र दिनांक सहित) (प्रारूप–01 के अनुसार)**

9. फर्म को निविदा प्रस्ताव के साथ निश्चित अग्रिम राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में रू 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट तकनीकि निविदा खुलने से पूर्व विभाग में डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से जमा कराना होगा। उक्त ड्राफ्ट की छाया प्रति ई–टेण्डर में अपलोड करनी होगी। उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट DG Information के नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि उक्त तिथि को अवकाश है तो उससे पहले के कार्य दिवस तक ड्राफ्ट जमा कराया जाना होगा।
10. खुलने से पूर्व विभाग में रू 1500/–(रूपये पन्द्रह सौ मात्र), 18 प्रतिशत जी.एस.टी सहित DG Information के नाम से डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।
11. तकनीकी शर्ते पूर्ण करने वाली फर्मो के ही वित्तीय प्रस्ताव खोले जायेगें।

अन्य शर्ते :

1. चयनित फर्मों को रू0 1,00,000/–(रूपये एक लाख मात्र) का Performance guarantee in form of बैंक गारंटी/डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर Pledged in favour of Director General, DIPR जमा करना होगा, जो विभाग द्वारा सूचीबद्धता के कार्यकाल तक बन्धक रखी जायेगी।
2. चयनित फर्मों को विभाग/परिषद कार्यालय परिसर में ही कार्य संपादित करने होंगे।
3. निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों की मान्यता पर निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. फर्म की सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। शून्य दरें प्रस्तुत करने पर फर्म को अनर्ह घोषित करते हुए अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों पर विचार किया जायेगा।
5. फर्म की शून्य दरें अनुमन्य नहीं होगी।
6. निविदा में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण न करने वाली फर्मों के प्रस्ताव निरस्त माने जायेंगे।
7. चयनित फर्म को कार्य दिये जाने का **अंतिम निर्णय महानिदेशक**, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा।
8. फर्म को विभाग में बजट की उपलब्धता के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायलय क्षेत्र देहरादून होगा।
10. चयनित फर्म को **₹100/-** के स्टाम्प पर विभाग के साथ द्विपक्षीय अनुबन्ध करना होगा। यह अनुबन्ध फर्म द्वारा नोटराईज्ड़ कराना होगा। जिसका व्यय फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
11. चयनित फर्म द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को कार्य स्थानांतरित नहीं किया जायेगा
12. **महानिदेशक**, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को बिना कारण बताये उक्त ई–निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
13. निविदा में तकनीकी रुप से सफल होने वाली अन्य फर्मों को **L1** की दरों पर सूचीबद्ध किया जायेगा।

———————

(रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित निविदा प्रकाशन तिथि के उपरांत का शपथ पत्र दिनांक सहित)

शपथ पत्र का प्रारूप–01

मैं ....पुत्र श्री .... निवासी ....शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूंकिः–

1. यह कि शपथकर्ता का उपरोक्त नाम व पता सही है।
2. यह कि शपथकर्ता .... में .... के पद पर कार्यरत है।
3. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा जमा किये गये सभी दस्तावेज सत्य हैं।
4. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं की गई है।
5. मैं .... घोषणा करता हूं कि हमारी फर्म/कम्पनी द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं।
6. फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये किसी भी प्रमाण–पत्र के असत्य पाये जाने पर शपथकर्ता के विरुद्व विधिक कार्यवाही विभाग द्वारा किये जाने पर शपथकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

शपथकर्ता

हस्ताक्षर

(शपथकर्ता का नाम)
पदनाम
पता
दिनांक

(वित्तीय निविदा प्रस्ताव)

वित्तीय शर्तें

निविदा दाता फर्म को वित्तीय निविदा बीओक्यू शीट पर निर्धारित कालमों के सामने ही अपनी दरें समस्त व्यय एवं करों सहित अंकित करनी होगी। जिस फर्म द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दरें अंकित नहीं की जायेंगी, उनकी दरें स्वीकार नहीं की जायेंगी। वित्तीय निविदा के मूल्य में निम्न प्रारूप के अनुसार अंकित करना होगा :–

क्र. सं.	विवरण	(दर रू. में) टैक्स सहित
1.	परिषद कार्यालय को प्राप्त होने वाले रुपये 02 करोड़ धनराशि तक के फिल्म अनुदान प्रस्ताव एवं अन्य संबंधित प्रकरणों पर परामर्श/सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु प्रति प्रस्ताव/प्रति फिल्म हेतु एक मुश्त दर।	
2.	परिषद कार्यालय को प्राप्त होने वाले रुपये 02 करोड़ से अधिक एवं रुपये 05 करोड़ की धनराशि तक के फिल्म अनुदान प्रस्ताव एवं अन्य संबंधित प्रकरणों पर परामर्श/सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु प्रति प्रस्ताव/प्रति फिल्म हेतु एक मुश्त दर।	
3	परिषद कार्यालय को प्राप्त होने वाले रुपये 05 करोड़ से अधिक धनराशि तक के फिल्म अनुदान प्रस्ताव एवं अन्य संबंधित प्रकरणों पर परामर्श/सेवाएं प्रदान किये जाने हेतु प्रति प्रस्ताव/प्रति फिल्म हेतु एक मुश्त दर।	

———————————